

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी:- श्री सी. एल. शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 4/2018

1- श्री अनिल चण्डा पत्नी श्री. श्यामल नि. श्यामल की सेरडी तह. आसीड
 ---प्रार्थी 9 गैरहा

वनाम
 1- श्री सीताराम 510 मन्द दिसेव 0 पास नि. श्यामल की सेरडी तह. आसीड
 ---विपक्षीगण 9 डी गैरहा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0मू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक:- 23.3.2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0मू0रा0अधि0नियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हिसानिया पटवार हल्का हिसानिया तहसील मांडल/करेडा में उराके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 515, 517, 518, 512, 513, 514 कुल किता 6 रकबा 6 बीघा 5 विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा विन्ड नहीं होने से आये दिन सीमा रावंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि का पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 4-1-2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अगिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्या को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हिसानिया पटवार हल्का हिसानिया तहसील मांडल/करेडा में स्थित आराजी नम्बर उपरमला नुसर अंकिर कुल किता 6 रकबा 6 बीघा 5 विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अगिलेख निरीक्षक आलमस को 400/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्डु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
 मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
 मांडल जिला भीलवाड़ा